

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 22.03.2023**

**03 पशु तस्कर गिरफ्तार, 15 राशि गोवंश व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद ट्रक, 01 अदद कार व तमंचा कारतूस बरामद-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पशु क्रूरता अधिनियम में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा दिनांक 21.03.2023 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर समधी पुरवा तिराहा के पास से गोवंश की तस्करी करने वाले 03 आरोपी अभियुक्तों- 01. पप्पू उर्फ मकसूद, 02. सलमान, 03. असरफ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 राशि गोवंश व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद ट्रक व 01 अदद मारूती सुजुकी कार व जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त पप्पू के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व अभियुक्त सलमान के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. पप्पू उर्फ मकसूद पुत्र महमूदूल हसन नि० दुल्हापार धनघटा संत कबीर नगर।
02. सलमान पुत्र जुम्मन नि० ग्राम दिलावर गढ थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
03. असरफ पुत्र इलियास नि० पीठापुर थाना अहिरोला जनपद आजमगढ।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-107/23, धारा 3/5/8 गौ वध निवारण अधि० व 3/11 पशु क्रूरता अधि० व 3/4/25 आर्म्स ऐक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 15 राशि गौवंश।
02. 01 अदद ट्रक नं० यू०पी० 44 टी० 5976
03. 01 अदद मारूती सुजुकी कार नं० एम०एच० 03 ए०आर० 9347
04. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
05. 01 अदद नाजायज चाकू।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ०नि० जयनाथ पण्डित मय टीम।



**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 22.03.2023**

**थाना इटियाथोक पुलिस ने दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.03.2023 को मुखबिर खास की सूचना पर दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त अवधेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने परिजनों के साथ मिलकर वादिनी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए जान से मार दिया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. अवधेश मिश्रा पुत्र भानू प्रताप मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा नि० भवनियापुर खुर्द थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-131/23, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी०पी० ऐक्ट एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ०नि० चन्द्रशेखर प्रताप सिंह मय टीमा।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 22.03.2023**

नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० करनैलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर पुराना हास्पिटल कस्बा करनैलगंज से अभियुक्त विशाल प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 240 नशीली गोलिया अल्प्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. विशाल प्रताप सिंह पुत्र अमर बहादुर सिंह नि० बस स्टाप के पीछे कालोनी सदर बाजार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-150/23, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 240 नशीली गोलिया अल्प्राजोलम।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ०नि० आशीष कुमार मय टीम।

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 22.03.2023

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना मनकापुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

#### 01. थाना को० मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. दूधनाथ पुत्र स्व० शिम्भू नि० ग्राम महुवाडीह थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-175/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रीना देवी पत्नी सुखीराम नि० भवाजितपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-77/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. केशव राम सोनकर पुत्र हीरालाल सोनकर नि० मरिकबन मौजा सीहागांव थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-89/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 22.03.2023**

**हसिया से वार कर बच्ची की हत्या करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-**

दिनांक 21.03.2023 को वादी जामिर अली पुत्र मोहीउद्दीन निवासी दुल्हापुर पहाड़ी माफीपुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा की लड़की जाफरून उम्र 10 वर्ष ,पुत्र फूलबाबू उम्र 03 वर्ष तथा भतीजी नजीबुन उर्फ विस्तुइया उम्र करीब 08 वर्ष जो गाँव के खेत में सुबह शौच के लिए गयी थी वहीं विपक्षी नीरज अवस्थी पुत्र दिनेश अवस्थी उर्फ सलन अवस्थी निवासी कुरासी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा से किसी बात को लेकर गाली-गलौज होने लगी थी। जिसमें विपक्षी द्वारा प्रार्थी की भतीजी नजीबुन उर्फ विस्तुइया उपरोक्त के ऊपर धारदार हथियार (हसिया) से प्रहार कर दिया था। जिसमें प्रार्थी की भतीजी को गम्भीर चोटें आयी हैं। बच्ची की ईलाज हेतु जिला अस्पताल से लखनऊ ले जाते समय मृत्यु हो गयी थी। वादी की तहरीर पर थाना इटियाथोक में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने घटना को संज्ञान में लेकर आरोपी अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश प्र0नि0 इटियाथोक को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा तत्काल आरोपी अभियुक्त नीरज अवस्थी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से आलाकत्ल हसिया बरामद कर किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. नीरज अवस्थी पुत्र दिनेश अवस्थी उर्फ सलन अवस्थी निवासी कुरासी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-137/23, धारा 302.326 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. आलाकत्ल हसिया।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. अ0प्र0नि0 इटियाथोक रामप्रकाश यादव मय टीम

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 22.03.2023**

**नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने आज दिनांक 22.03.2023 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड करने के वांछित अभियुक्त-रिंकू को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माता द्वारा थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. रिंकू पुत्र जगेश्वर यादव नि० ग्राम मिर्जापुर रामनाथ थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-171/2023 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो ऐक्ट थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

उ०नि० अखिलेश राही मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 22.03.2023**

**दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.03.2023 को मुखबिर खास की सूचना पर दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त रवि शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने परिजनों के साथ मिलकर वादी जगदीश पुत्र रामनरेश की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए जान से मार दिया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. रवि शर्मा पुत्र बडकऊ नि० ग्राम वैशनपरुवा मौजा गुरसडा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-146/23, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी०पी० ऐक्ट एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ०नि० विनय कुमार पाण्डेय मय टीम